

प्रेषक,

राधा रतूड़ी,
सचिव वित्त,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तरांचल शासन।

वित्त अनुभाग-6

देहरादून: दिनांक 22 दिसम्बर, 2006

विषय: शासकीय विभागों में लेखा संवर्ग गठित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन के संज्ञान में यह तथ्य लाया गया है कि प्रदेश के विभिन्न विभागों में स्वीकृत सहायक लेखाधिकारी/लेखाधिकारी के पदों को कतिपय विभागों द्वारा विभागीय पद मानते हुए, विभाग में कार्यरत लिपिकीय/आंकिक संवर्ग के कर्मियों को उक्त पदों में पदोन्नति प्रदान कर प्रथक-प्रथक सेवानियमावली बनाई जा रही है, जो कि नियमानुसार उचित नहीं है। शासन द्वारा उत्तरांचल वित्त सेवा नियमावली, 2002 एवं उत्तरांचल सहायक लेखाधिकारी सेवा नियमावली, 2003 प्रख्यापित की जा चुकी है। प्रदेश में समस्त लेखाधिकारी/वित्त अधिकारी के पद उत्तरांचल वित्त एवं लेखा सेवा संवर्ग के हैं तथा सहायक लेखाधिकारी के पद उत्तरांचल सहायक लेखाधिकारी संवर्ग के हैं। उक्त पदनामों से सृजित समस्त पदों पर यथा सीधी भर्ती/पदोन्नति उपरोक्त वर्णित सेवा नियमावली के प्राविधानों के अधीन प्राधिकृत सक्षम नियुक्ति प्राधिकारी के द्वारा ही होनी हैं। इससे इतर यदि कोई पदोन्नति की जाती है, वह असंवैधानिक है।

2- उद्योग, वन, पर्यटन, पुलिस, शिक्षा, लोक निर्माण विभाग, पंचायत एवं ग्राम्य विकास सहित अन्य कई बड़े विभागों में सहायक लेखाधिकारी/वित्त अधिकारी (उत्तरांचल में पूर्ववर्ती उत्तर प्रदेश राज्य के लेखाधिकारी पदनाम को उत्तरांचल वित्त सेवा नियमावली, 2002 के अनुसार वित्त अधिकारी का पदनाम प्रतिस्थापित है) के पद का सृजन न होने से वित्तीय सम्बन्धी कार्य प्रभावित हो रहे हैं। अतः प्रत्येक विभाग अपने पुनर्गठित/प्रस्तावित संगठनात्मक ढांचे में सृजित अथवा प्रस्तावित सहायक लेखाधिकारी व वित्त अधिकारी के पदों की स्थिति से वित्त विभाग को यथाशीघ्र अवगत कराये। जिन विभागों के पुनर्गठित ढांचे में सहायक लेखाधिकारी व वित्त अधिकारी के पदों का सृजन नहीं किया गया है वे भी कार्य की आवश्यकता एवं वित्तीय अनुशासन/प्रबन्ध के आलोक में उक्त पदों के सृजन हेतु यथोचित प्रस्ताव वित्त विभाग की सहमति हेतु भेजने का कष्ट करें।

3- उत्तरांचल राज्य गठन से पूर्व जिन विभागों में सहायक लेखाधिकारी सेवा नियमावली, 2003 के परिशिष्ट "क" में उल्लिखित सहायक लेखाधिकारी संवर्ग के सहायक लेखाधिकारी के पद सृजित थे, उसे उसी रूप में सेवा नियमावली में रखा गया है। उक्त सूची के अन्तर्गत स्वीकृत पदों के विरुद्ध अधिकांश विभागों द्वारा अपने यहाँ सहायक लेखाधिकारी के पदों का सृजन नहीं किया गया है। अतः ऐसे विभागाध्यक्षों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे सहायक लेखाधिकारी सेवा नियमावली के परिशिष्ट "क" में उल्लिखित पदों की संख्या तक सहायक लेखाधिकारी के पदों की स्वीकृति हेतु अग्रेतर एवं अपेक्षित कार्यवाही सुनिश्चित करें।

4- पूर्ववर्ती राज्य उत्तर प्रदेश में द्वितीय उत्तर प्रदेश वेतन आयोग के प्रतिवेदन के संकल्प संख्या वे0आ0-1590/दस-42(एम)-1980, दिनांक 29 सितम्बर, 1981 में लिये गये निर्णयानुसार विभिन्न विभागों में लेखा/लेखा परीक्षा संवर्ग के गठन हेतु शासनादेश संख्या वे0आ0-1-1802/दस-34(एम0) -83, दिनांक 11 अगस्त, 1983 निर्गत करते हुए विभागों में लेखा संवर्ग का विधिवत गठन करने के स्पष्ट निर्देश हैं। वित्त विभाग के संज्ञान में यह भी आया है कि विभिन्न विभागों में उक्त शासनादेश में वर्णित प्राविधानों के विपरीत लिपिकीय संवर्ग से लेखा संवर्ग के विभिन्न पदों पर पदोन्नतियों की जा रही हैं जो नियम संगत नहीं है। अतः समस्त विभागाध्यक्ष अपने यहाँ सृजित सहायक लेखाकार एवं लेखाकार के पदनाम एवं वेतनमान के सृजित पदों को उपरोक्त वर्णित शासनादेश के अनुसार लेखा संवर्ग हेतु अधिसूचित कराते हुए विधिवत रूप से प्रथक लेखा संवर्ग के गठन की अधिसूचना निर्गत कराते हुए शासनादेशानुसार इन पदों पर निर्धारित शैक्षिक अर्हता पूर्ति करने वाले कर्मियों की नियमानुसार भर्ती/ पदोन्नति करने का कष्ट करें।

5- निदेशक लेखा एवं हफदारी जो कि सहायक लेखाधिकारी संवर्ग के नियुक्ति प्राधिकारी हैं, के स्तर से सहायक लेखाधिकारी सेवा नियमावली, 2003 के परिशिष्ट "ख" में वर्णित विभागों के विभागीय लेखाकारों/ज्येष्ठ लेखा परीक्षकों की परस्पर ज्येष्ठता निर्धारण के समय ज्येष्ठता सूची में उन्हीं लेखाकारों/ज्येष्ठ लेखा परीक्षकों/वरिष्ठ सम्प्रेक्षकों को सम्मिलित किया जायेगा जो उपरोक्त शासनादेशानुसार अपने विभाग में विधिवत रूप से अपने-अपने संवर्ग में अधिसूचित हुए हों। कृपया इस सम्बन्ध में अपने स्तर से समस्त नियंत्रणाधीन विभागाध्यक्षों को उक्त निर्णय से अवगत करायें।

6- उपरोक्त प्रस्तर-4 के अनुसार समस्त विभागाध्यक्षों के स्तर पर लेखा संवर्ग का पृथक संवर्ग गठन किये जाने हेतु विभागाध्यक्षों को अपेक्षित मार्गदर्शन/परामर्श दिये जाने हेतु निदेशक लेखा एवं हकदारी, उत्तरांचल, देहरादून को नोडल अधिकारी के रूप में नामित किया जाता है।

भवदीया,


(राधा रतूड़ी)
सचिव।

संख्या-450 (1) / XXVII(6) / 2006, तददिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

- 1- समस्त विभागाध्यक्ष उत्तरांचल ।
- 2- निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवाए, उत्तरांचल ।
- 3- निदेशक लेखा एवं हकदारी, उत्तरांचल देहरादून ।
- 4- निजी सचिव, मुख्य सचिव महोदय के संज्ञानार्थ ।
- 5- गार्ड फाईल ।

आज्ञा से,

(एल0एम0पन्त)
अपर सचिव ।